

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

No. F. 20 (119-III)/NHM/HR/Relocation/2019/ 364

Date: 29/09/2019

आदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अन्तर्गत कार्यरत निम्न संविदा कार्मिकों का रिलोकेशन, Relocation Policy के बिन्दु संख्या 1(iv) के प्रावधानों के तहत एवं रिक्त स्थानों पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	रिलोकेशन कहां से	रिलोकेशन कहां को
1	प्रेम कुमार	ACDEO	यूपीएचसी मसुरिया जोधपुर	यूपीएचसी झालामण्ड, जोधपुर
2	तरुण भारती	ACDEO	यूपीएचसी झालामण्ड, जोधपुर	यूपीएचसी मसुरिया जोधपुर
3	सरिता विश्वा	ANM	पीएचसी तिंवरी, जोधपुर	उप स्वा० केन्द्र सेवकी खुर्द, बिराई, ब्लॉक भोपालगढ़, जोधपुर
4	ललित किशोर	Ayush Compunder	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोमेश्वर ब्लॉक शेरगढ़, जोधपुर	आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भावी, बिलाडा, जोधपुर
5	तृप्ति परिहार	Ayush Compunder	पीएचसी सामराउ, खण्ड ओसियां जिला जोधपुर	पीएचसी धवा, खण्ड सालावास, लूणी जोधपुर
6	डॉ. जयप्रकाश पालीवाल	MO Ayush Ayurved	आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चोंधन, जैसलमेर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटिंडा, ब्लॉक लूणी, जोधपुर
7	डॉ. हीना आफताब	MO Ayush Unani	पी.एच.सी तेना, ब्लाक. शेरगढ़ जिला जोधपुर	पीएचसी पूनियां की प्याऊ, ब्लॉक मण्डोर, जोधपुर
8	डॉ. मोहम्मद अयुब	MO Ayush Unani	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वेलांगरी, सिरौही	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालवा खुर्द, ब्लॉक भोपालगढ़, जोधपुर
9	डॉ. सोनु मीणा	Mo RBSK	ब्लॉक रोहट, जिला पाली	ब्लॉक टोंक, टोंक
10	दीपिका गहलोत	Pharmacist RBSK	ब्लॉक सिवाणा, बाडमेर	सीएमएचओ जोधपुर के अधीन रिक्त पद पर
11	सरिता	PHM	यूपीएचसी पंचशील, अजमेर	यूपीएचसी जवाहर नगर डिस्पेन्सरी, जयपुर प्रथम
12	नरेश शर्मा	STS	टीबी यूनिट सालावास, जोधपुर	टीबी यूनिट पावटा, जोधपुर

उक्त आदेश निम्न शर्तों के अधीन रहेगा :-

- उक्त आदेश में उल्लिखित संविदा कार्मिकों में से यदि किसी कार्मिक को निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों हेतु नियुक्त किया गया है, तो ऐसे कार्मिकों पर उक्त आदेश निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त ही प्रभावी होंगे।

2. वर्तमान में राज्य के जिला नागौर एवं झुझुनूं में विधानसभा उप चुनाव होने के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। अतः इन जिलों से संबंधित कार्मिकों (जिनका रिलोकेशन जिले से जिले में, जिले से बाहर या अन्य जिलों से इन जिलों में किया गया है) के लिए उक्त आदेश आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के पश्चात ही प्रभावी होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

29/9/2019  
(घनश्याम लाल शर्मा)  
परियोजना निदेशक  
एनएचएम

No. F. 20 (119-III)/NHM/HR/Relocation/2019/ 364

Date: 29/09/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
5. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम जयपुर।
7. परियोजना निदेशक, आरबीएसके, एनएचएम जयपुर
8. सहायक निदेशक (आयुष), एनएचएम जयपुर।
9. स्टेट नोडल ऑफिसर (आएनटीसीपी), मुख्यालय जयपुर।
10. सलाहकार, एनयूएचएम जयपुर
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिले।
12. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम संबंधित जिले।
13. वर्णित संविदा कार्मिक को पालनार्थ।
14. प्रभारी सर्वर रूम, एनएचएम को भेजकर लेख है कि वर्णित आदेश को तुरन्त प्रभाव से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
15. आदेश/रक्षित पत्रावली।

29/9  
परियोजना निदेशक  
एनएचएम